



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 218/2013 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार पुत्र प्रभुदयाल जोशी निवासी कैंधा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश  
गोस्वामी



विवेचक-  
उ0नि0 रामसिंह  
यादव



पैरोकार- थाना राठ  
का0 प्रदीप भार्गव